

**बाराबंसा**  
**तंत्रिक, पॉलिटेक्निक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश (अखंड)**

संख्या- पॉलिप/पॉिपेट/सम्बद्धता/2021/3537

तखतक- दिनांक- 09/08/2021

: **आवृत्तिका ज्ञापन** :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एनू) दिल्ली परामर्शी कार्यविभाग (बीक) इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा (सीएम संख 2021-22) हेतु दिल्लीसह राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को पॉिपेट बाराबंसा से सम्बद्धता अधिति की वेबसाइट पर (सीएम संख 2021-22) हेतु अर्जित नए परामर्शी को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एनू) दिल्ली परामर्शी कार्यविभाग (बीक) इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा (सीएम संख 2021-22) हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता अधिति की वेबसाइट में प्रिंटेड को निर्णय के अनुक्रम से निम्न संख्या को पॉलिटेक्निक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (अखंड) द्वारा संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

बाराबंसा का पता है : 2038-G.S.BAPU INSTITUTE OF POLYTECHNIC VILL & POST-AKHOTENSIL-BE: THARA ROAD,BALLIA-221715

क्रमांक	पदनाम का नाम	पॉिपेट/पॉिपेट/सीएम संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पॉिपेट द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

संख्या 2021/3537





संस्था को संशोधन-विकास हेतु आवश्यक परामर्शदायक उपकरण कर्मियों के जरूरत डेटिल रूप से के संयोजन में संशोधन-विकास समितियों का गठन करना होगा।

- ✓ संस्था को मुनिफिका हो ले कि संस्था को प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को तलाश करने हेतु निवृत्तता समिति के समक्ष उपकरण कर्मियों को अभिलेख, भूमि-संयोजन, पढीयन, उपकरण-मुनिफिका का धरि भाग्य होगा किन्तु अन्य परामर्शदायक के संयोजन में प्रयोग किया जाता है की मुनिफिका का मुनिफिका जानकारी होने है कि संस्था उपरोक्त का परामर्श किन्तु अन्य कर्मियों के लिए कर रही है तो संयोजन संस्था की सम्बद्धता समझने किन्तु उन्हे की अनुसंधान को करेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निवृत्तता समिति संस्था की भूमि, भागा, परामर्शदायक, उपकरण एवं अन्य संयोजन-संयोजन का मुनिफिका का मुनिफिका के सम्बद्धता के सम्बद्धता के सम्बद्धता प्रामर्श नहीं प्राप्त करण है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्मियों का अनुसंधान न विधि उन्हे प्रामर्श कर्मियों का अनुसंधान किन्तु उन्हे की विधि से विनिर्माण, अनुसंधान-विकास कर्मियों को करेगी।

(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/04/2021

पू.सं.भ-प्रतिपात्रियत सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रकाशित:-

राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान (JETA) INSTITUTE OF POLYTECHNIC, VET & POST GRADUATE, TECHNICAL EDUCATION SOCIETY, BALLIA-221115



(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4038-S.S.BAPU INSTITUTE OF POLYTECHNIC


क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक

शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)


सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.S.BAPU INSTITUTE OF POLYTECHNIC

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)

संख्या- प्रोवि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्रादेशी कानूनीतः अधिक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यलय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि समिति के साथ या विचार कक्षा हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मा-2 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मान विचार-विमर्श एवं निष्पत्ति निर्णय लिया गया -

निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली डिप्लोमा प्रतियोगिता तकनीकी शिक्षा संस्थान, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध है, में एग्जाइंटरी/टीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कक्षा अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एग्जाइंटरी/टीआई द्वारा प्रदाय किए गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सामूहिक अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एग्जाइंटरी/टीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदाय अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एग्जाइंटरी/टीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	एकलखा डा. ए. ए. इंस्टीट्यूट ऑफ एंग्लो-इण्डियन विज्ञान एवं टेक-अडवांस, ए. ए. बंगला, रोड, बलिया।	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेकैनिक्स इंजीनियरिंग	60 60 60	60 60 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एग्जाइंटरी/टीआई/द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अमूल्यमान करेगी तथा शुल्क निवारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यशील पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक संस्था दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यशील पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु. 22,00,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक साल/भाग में प्रत्यक्ष किया जाएगा। उपरोक्त ले अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को शुल्क के अभाव में समय-समय पर शकल द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसपास प्रस्तावी हॉर्स और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सोम निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीत का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीत की कार्यालय इसे लागू होगी।

  
President  
Shiv Narain Saurabh Sheoran  
Education Officer

- ✓ संस्था को (संस्था) प्राथमिक शिक्षा समिति/संस्था के समर्थन के अभाव में, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रवेश परीक्षा के निर्धारणानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सहाय-समर्थन पर भिन्न शासनादेशों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं गठित विधि/विज्ञान/अभियंत्रण/सांसाध्यिक/निदेश एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उच्च संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक आ शासन करने के लिए कार्य होगी।
- ✓ निदेशक इन कार्यवाही कार्यक्रम की सहाय्य यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक उच्च प्रदेश शासन को कोई बंध बाधक दिया जाता है तथा उच्च बंध की संस्था में न। संस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा संस्था अपने प्रवेश की (कार्यवाही) के माध्यम से ही संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत संचालन उत्कल नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, न्याय, साक्ष-संसाध्य उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क प्रासाधन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ सैन्य रोडने के संस्था में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम जो बताया जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सम्पत्, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न. विद्ये जाने अथवा कार्य का चलायन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुपालनकार्य कार्यवाही की जाएगी।

(सा. अ. सं. सं. सं. सं.)  
सचिव

पृष्ठ सं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तारीख: 15-08-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एनएसओ क्यू इस्टीमेट ऑफ पाठ्यक्रम विभाग एनए सी-अध्यक्ष, उच्च- वेदधारा सं. सं. सं. सं.

(सा. अ. सं. सं. सं.)  
सचिव

  
President  
Shri Narain Sadhu Sharan  
Educational Society